# <u>न्यायालय :—श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> <u>मजिस्ट्रेट, अंजड जिला — बडवानी (म.प्र.)</u>

### <u>एम.जे.सी. प्रकरण कमांक 38/2016</u> संस्थित दिनांक—21.07.2016

श्रीमती कमलाबाई पति मिथून, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम हरिबड़ तह. अंजड, जिला बड़वानी हाल मु. त्रिवेणी चौक धान मंड़ी अंजड जिला बड़वानी ..... आवेदिका

वि रू द्व

मिथून पिता मंशाराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी हरिबड़ तह. अंजड, जिला बड़वानी

...... अनावेदक

आवेदिका द्वारा – श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

अनावेदक द्वारा – अनावेदक एकपक्षीय।

# ——ः आदेश ः:—— <u>(आज दिनांक 26/12/2016 को घोषित)</u>

- 01. इस आदेश के द्वारा प्रार्थी के आवेदन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 19, 20, 21 एवं 22 का निराकरण किया जाना हैं, जिसके माध्यम से प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी से उसके साथ घरेलू नातेदारी के रूप में निवास करने के दौरान प्रतिप्रार्थी द्वारा उसके साथ किये गये शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना हेतु प्रतिकर रूपये 2,00,000/— दिलाने, निवास स्थान प्रतिमाह रूपये 3000/— तथा भरण पोषण हेतु प्रतिमाह रूपये 7000/— दिलाने का निवेदन किया है।
- प्रार्थी का उक्त आवेदन दिनांक 17.07.2015 संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का विवाह लगभग 15 वर्ष पहले जीवन पिता नानुराम के साथ हुआ था जिससे प्रार्थी को तीन संताने हुई जो कमशः राधिका उम्र 14 वर्ष, प्रीति उम्र 13 वर्ष, एवं विनित उम्र 11 वर्ष है जो वर्तमान में प्रार्थी के साथ निवास करते है। विवाह के बाद से प्रार्थी को उसके पति जीवन द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया गया और घर से निकाल दिया गया। इस कारण प्रार्थी अपनी मॉ के पास निवास करती थी। आवेदन पेश करने के लगभग 6 वर्ष पहले प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी को अपने साथ पत्नी बनाकर रखने पत्नी के समस्त सुख देने और प्रार्थी के बच्चों को पिता का प्यार देने का लालच रख कर अपने साथ रखने के लिए राजी किया। प्रतिप्रार्थी ने यह भी कहां की वह ड्रायवर हैं, उसे प्रतिदिन रूपये 500 / – वेतन मिलता हैं उसके पास 10 एकड़ सिंचित कृषि भूमि हैं। वह प्रार्थी को आराम से रखेगा तब से प्रार्थी प्रतिप्रार्थी के साथ ग्राम हरिबड़ गई पत्नी के रूप में निवास करती थी तथा प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी को पत्नी के समस्त अधिकार प्रदान किये। लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी को त्रिवेणी चौक धान मंडी अंजड कमरा किराये पर लेकर रखा। प्रतिप्रार्थी आवेदन पेश करने के लगभग ढ़ाई माह पहले उज्जैन में सिंहस्थ में बस चलाने के लिए गया तथा वापस नहीं आया। प्रार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थी को फोन लगाने पर प्रतिप्रार्थी ने छुट्टी नहीं मिलने का बहाना किया।

- 03. एक दिन प्रार्थी के पास घर पर आया तथा रात को घर के अंदर पेटी में रखें मोटरसाईकल के कागज, सोने चांदी के जेवर तथा उनके बिल अपने साथ ले गया। प्रार्थी के द्वारा प्रतिप्रार्थी को फोन लगाने पर प्रतिप्रार्थी ने कहां की उसे प्रार्थी पसंद नहीं हैं वह दूसरी शादी करेगा उसे प्रार्थी के साथ नहीं रहना हैं। दिनांक 02.06.16 को दोपहर लगभग 1 बजे प्रतिप्रार्थी प्रार्थी को मोटरसाईकल पर बैंडाकर गायत्री मंदिर ले गया जहां पर पहले से उपस्थित राजूबाई, शांताबाई, पंचू एक अन्य लड़की तथा प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ गाली—गलौच की और जान के मारने की धमकी दी जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाना अंजड पर दिनांक 08.06.16 को की इस कारण प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध उसके द्वारा की गई शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना हेतु उपचार का खर्च, भरण पोषण एवं प्रतिकर राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पेश किया।
- **04.** सूचना पत्र तामिल के उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 13.10.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

### 05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है:-

- 01. क्या प्रार्थी की प्रतिप्रार्थी के साथ घरेलू नातेदारी रही है?
- 02. क्या प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति घरेलू हिंसा कारित की गई है?
- 03. क्या प्रार्थी प्रतिप्रार्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के लिए प्रतिकर स्वरूप रूपये 2,00,000/— स्वयं के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह रूपये 7000/— एवं मकान किराये हेतु प्रतिमाह रूपये 3000/— पाने की अधिकारी हैं?

#### सकारण निष्कर्ष

- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में प्रार्थी श्रीमती कमला का कथन है कि वह प्रतिप्रार्थी को जानती हैं। उसका विवाह ग्राम बकवाड़ी के जीवन के साथ हुआ था किन्तु जीवन बह्त शराब पीकर उसके साथ मारपीट और गाली–गालौच करता था इस कारण वह अकेली अपनी मॉ के साथ ग्राम मुंडला में रहती थी। लगभग 6-7 साल पहले प्रतिप्रार्थी ने उसे पत्नी बनाकर रखने का कहां और उसके बच्चों को पिता का प्यार देने का आश्वासन देकर अपने साथ साझा गृहस्थी में रखा किन्त् प्रतिप्रार्थी ने उसे कुछ समय तो ठीक से रखा फिर उसके साथ मारपीट गाली-गलौच करता रहा। प्रतिप्रार्थी ने उसे लगभग 2 वर्ष पहले धान मंड़ी अंजड किराये का मकान लेकर साझी गृहस्थी में रखा। प्रतिप्रार्थी लगभग 7–8 माह पहले उज्जैन सिहंस्थ में बस चलाने के लिए गया तो वह वापस नहीं आया। उसके फोन लगाने पर छुट्टी नहीं मिलने का बहाना करता था। इसके बाद एक दिन प्रतिप्रार्थी अंजड आया और रात को घर के अंदर पेटी में रखे मोटरसाईकल के कागज, सोने चांदी के जेवर तथा उनके बिल ले गया। जब उसके द्वारा प्रतिप्रार्थी को फोन लगाया तो प्रतिप्रार्थी ने कहां की वह प्रार्थी को पसंद नहीं करता उसे अब प्रार्थी के साथ नहीं रहना हैं। लगभग 6 माह पूर्व प्रतिप्रार्थी मोटरसाईकल से आया और प्रार्थी को बैंठाकर गायत्री मंदिर अंजड ले गया जहां पर राजुबाई, शांताबाई, पंचू और एक अन्य लड़की के साथ मिलकर उसे गाली-गलीच और जान से मारने की धमकी दी जिसकी रिपोर्ट थाना अंजड पर की जिसकी कार्बन प्रतिलिपि प्रपी-1 हैं, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 07. प्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रतिप्रार्थी ड्रायवर होकर प्रतिदिन रूपये 500–600/– की आय प्राप्त कर लेता हैं तथा उसकी माँ के साथ संयुक्त रूप से 10 एकड़

कृषि भूमि उसके पास हैं जिससे प्रतिवर्ष रूपये 1,00,000 / — की आय प्राप्त होती है। उसे अपने जीवन यापन दवाईयों, कपड़े, खान—पान, के लिए प्रतिमाह रूपये 7000 / — की आवश्यकता हैं तथा मकान किराये के लिए प्रतिमाह रूपये 3000 / — की आवश्यकता हैं एवं प्रतिकरण राशि रूपये 2,00,000 / — की एक मुश्त आवश्यकता हैं जो प्रतिप्रार्थी देने में सक्षम हैं।

- 08. कुमारी राधिका (पसा.—2) का कथन हैं कि प्रार्थी उसकी माता हैं। प्रतिपार्थी उसकी माँ के साथ उनके घर में निवास करता था, तथा उसकी माँ के साथ मारपीट गाली गलौच करता था प्रतिप्रार्थी ने उन्हें लगभग 2 वर्ष पूर्व उनकी माँ के साथ त्रिवेणी चौक अंजड में किराये का मकान लेकर साझा गृहस्थी में रखा। प्रतिप्रार्थी लगभग 7—8 माह पूर्व सिंहस्थ उज्जैन में बस चलाने का कह कर गया किन्तु वापस नहीं आया। प्रतिप्रार्थी एक बार घर गया था तथा रात को घर के अंदर पेटी में रखे मोटरसाईकल के कागज, सोने चांदी के रकम और उनके बिल ले गये। उसकी माँ द्वारा फोन लगाने पर प्रतिप्रार्थी ने कहां की वह प्रार्थी को पसंद नहीं करता उसे अब प्रार्थी के साथ नहीं रहना। लगभग 6 माह पूर्व प्रतिप्रार्थी मोटरसाईकल से आया और उसकी माँ को बैंडाकर अंजड ले गया वहां कुछ लोगों ने उसकी माँ के साथ गाली—गलौच की और उसकी माँ को जान से मारने की धमकी दी। जिसकी रिपोर्ट उसकी माँ ने पुलिस थाना अंजड में की थी। इस साक्षी ने भी प्रतिप्रार्थी की आय प्रतिदिन रूपये 500—600/— बताई तथा 10 एकड़ कृषि भूमि से प्रतिवर्ष रूपये 1,00,000/— की आय प्राप्त होना बताई तथा अपनी माँ के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह रूपये 7000/— एवं मकान किराय प्रतिमाह रूपये 3000/— की होना बताई हैं।
- **09.** प्रतिप्रार्थी एक पक्षीय होने के कारण प्रार्थी की साक्ष्य का कोई खंडन नहीं हुआ।
- प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी द्वारा उसे सांझी गृहस्थी में पत्नी के रूप में रखने तथा प्रतिप्रार्थी द्वारा उसके साथ कुरता करने के संबंध में स्पष्ट कथन किया जिसका कोई भी खंडन प्रतिपरीक्षण के अभाव में नहीं हुआ हैं। प्रतिप्रार्थी दिनांक 27.09.16 को न्यायालय में उपस्थित था किन्तु उसके बाद न्यायालय में नहीं आया। इस प्रकार प्रार्थी के साक्षी और उसके द्वारा थाने पर लिखाई गई प्रपी-1 की रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी और प्रतिप्रार्थी के मध्य घरेलू नातेदारी रही हैं जिसके दौरान प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी की साथ घरेलू हिंसा की तथा प्रार्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा प्रार्थी का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। इस कारण प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह भरण पोषण की राशि एवं प्रतिकर की राशि तथा मकान का किराया पाने की अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत घेरलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 19, 20 एवं 22 के प्रावधान के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रतिप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को उसे निवास हेतु प्रतिमाह रूपये 800/ – उसके भरण पोषण हेत् प्रतिमाह रूपये 1200 / – तथा प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ की गई शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना हेतु एक मुश्त प्रतिकर राशि रूपये 25,000/— प्रार्थी अदा करें। भरण पोषण एवं निवास स्थान की धनराशि प्रार्थी आवेदन दिनांक 21.07.16 से प्राप्त करने की अधिकारी रहेंगी।
- 11. प्रार्थी का आवेदन का व्यय रूपये 1000/— निर्धारित किया जाये जो प्रातिप्रार्थी द्वारा अदा किया जाये।
- 12. आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थी को निःशुल्क दी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.